dk;Zdkjh lkjka'k

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 47 प्रदान करता है कि राज्य को अपने लोगों का जीवन स्तर एवं पोषण का स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में मानना चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) जो कि 5 जुलाई, 2013 को प्रभावी हुआ था उसका उद्देश्य अत्यधिक रियायती दरों पर 81.34 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान करना था। एन.एफ.एस.ए. का एक प्रमुख निहितार्थ था कि पहचाने गए लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। एन.एफ.एस.ए. लोक संवितरण प्रणाली में भी परिवर्तन लाना चाहता था जो कि लक्ष्यीकरण में त्रुटियां, अपर्याप्त संवितरण तंत्र जिसके कारण उच्च रिसाव तथा उसके कार्यों में पारदर्शिता की कमी जैसी विभिन्न कमियों से प्रभावित थी।

अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना 2011 के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवृत्त किया जाना था तथा राज्य/सं.शा.क्षे. (संघ शासित क्षेत्र) को उपरोक्त कवरेज के लिए निर्दिष्ट रूप से खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे। यदि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आवंटन पिछले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल खरीद से कम था तो राज्य के वार्षिक आवंटन को संरक्षित किया जाना था। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन का अर्थ है प्रति वर्ष ₹26,780 करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक सहायता। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन से पूर्व, तैयारी के उपायों के रूप में राज्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने थे।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. की तैयारी का आकलन करने का निर्णय लिया था। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 एवं 2 एन.एफ.एस.ए. तथा हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करता है। अध्याय 3, 4, 5 और 6 क्रमशः लाभार्थियों की पहचान तथा राशन कार्डों को जारी करने, रसद में तैयारी, लक्षित लोक संवितरण प्रणाली (ल.लो.सं.प्र.) में सुधारों तथा शिकायत निवारण तंत्र एवं मॉनीटरिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ykHkkfFkZ;ksa dh igpku ,oa jk'ku dkMZ tkjh fd;k tkuk

- ग्यारह राज्यों/सं.शा.क्षे. ने 365 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर योग्य परिवारों की पहचान सूचित की थी, जबकि सात राज्यों/सं.शा.क्षे. ने जून–अक्तूबर 2015 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान कार्यान्वयन राज्यों/सं.शा.क्षे. को 18 तक का ऑकड़ा बताते हुए सूचित किया था। सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में केवल 51 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को पहचाना गया था और 49 प्रतिशत लाभार्थियों को अभी तक पहचाना जाना शेष था। (पैरा 3.2)

- गैर कार्यान्वयन राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलंब के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अंतर्गत आंकड़ों को अंतिम रूप न दिया जाना, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त निधियां एवं श्रमशक्ति थे। मंत्रालय ने कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में तीन बार वृद्धि की थी, सितम्बर 2015 को अंतिम बार ऐसा किया गया था, जबकि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

(पैरा 3.3, 3.4)

- अधिकतर कार्यान्वयन राज्यों ने एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता परिवारों के लाभार्थियों को पहचाना नहीं था परंतु लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के पुराने डाटाबेस का उपयोग किया था।

(पैरा 3.5)

- हिमाचल प्रदेश में 6.9 लाख पुराने राशन कार्डों पर प्राथमिक परिवार और अं.अ.यो. परिवारों के रूप में मुहर लगाई गई थी तथा उन्हें एन.एफ.एस.ए. अनुपालनकारी के रूप में पुनः जारी किया गया था। कर्नाटक में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र विवरणों की पहचान के दौरान मौजूदा प्रणाली में 8.90 लाख जाली एवं अयोग्य राशन कार्ड पाए गए थे (जून 2015)। जबकि, इन जाली या अयोग्य राशन कार्डों को रद्द करने के बजाए, राज्य सरकार उन्हें खाद्यान्न जारी करती रही। महाराष्ट्र में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा राशन कार्डों पर मुहर लगाकर राशन कार्डों को दोबारा सत्यापित किया गया था।

(पैरा 3.6)

jlne r;kjh [kk|kUUk dk vkoVu] <ykbl ,o HkMkj.k

- वर्ष 2012 में निर्णय लिए जाने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रवृत्ति योजना को तैयार नहीं किया गया था।

(पैरा 4.2.1)

- नमूना परीक्षित राज्यों में, तीन माह की आवश्यकता को रखने के लिए खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. की मौजूदा भंडारण क्षमता की परिस्थिति में सुधार की आवश्यकता थी।

(पैरा 4.3)

yf{kr ykd lforj.k i.kkyh e lekkj

- असम में द्वार तक खाद्यान्नों के संवितरण को कार्यान्वित नहीं किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में एन.एफ.एस.ए. के प्रावधान के उल्लंघन में एफ.पी.एस. डीलरों द्वारा द्वार तक संवितरण किया जा रहा था।

(पैरा 5.2.1)

- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में टी.पी.डी.एस. कार्यों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण नहीं किया गया था और कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर था।

(पैरा 5.3.2)

- चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में अपेक्षित कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा हार्डवेयर की अनुपलब्धता सीमित करने वाले कारक थे। राज्यों/सं.शा.क्षे. में पहचाने गए लाभार्थियों के डाटा का अपर्याप्त डिजीटीकरण पाया गया था।

(पैरा 5.3.3)

f'kdk;r fuokj.k r= ,o ekuhVfjx

- यद्यपि अंतिम स्तर पर न होते हुए अधिकतर राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र का गठन हुआ था। जबकि नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में से छः में शिकायत निवारण तंत्र का गठन कर लिया गया था, यह पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे। किसी भी चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में सभी चार स्तरों पर निगरानी समितियां मौजूद नहीं थीं। मंत्रालय शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समिति कार्यान्वयन को मॉनीटर की स्थिति में नहीं था। उसी प्रकार, राज्यों द्वारा की गई मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी तथा निरीक्षणों में कमियां थीं।

(पैरा 6.2, 6.3)

vu'kalk,

1. *राज्य सरकारों के परामर्श के साथ मंत्रालय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पहचान पर दिशानिर्देश जारी करें।*
2. *मंत्रालयों को पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा लाभार्थियों को संशोधित/वर्धित हकदारी स्वीकृत करने से पूर्व उनकी वास्तविक पहचान से स्वयं को आश्वस्त करना चाहिए।*
3. *चूंकि, एन.एफ.एस.ए. में कोई समर्थकारी प्रावधान नहीं है, मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए बताई गई समय सीमा में वृद्धि के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।*
4. *मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रवृत्ति योजना तैयार की जानी चाहिए तथा एन.एफ.एस.ए. में परिकल्पित रूप से खाद्यान्नों के सामयिक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए।*
5. *मंत्रालय को खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि एवं मौजूदा भंडारण सुविधाओं में संवर्धन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।*
6. *मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में टी.पी.डी.एस. परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण में अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।*

7. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समितियों के संबंध में एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों की अनुपालना राज्य करें तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे राज्यों/सं.शा.क्षे. से त्रैमासिक रिपोर्टों को संग्रहित करके टी.पी.डी.एस. (सी) आदेश, 2015 के अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

***